न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ

पीठासीन अधिकारी– गितेश श्री मालवीय (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– डिक्री 84 सन् 2021

पंजीयन दिनांक :– 29.10.2021

अनवान

उस्मान खां पिता गुलबाज खां जाति मुसलमान निवासी सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ

–अपीलांट

विरूद्ध

1. मोहम्मद दराज पिता इस्माईल जाति मुसलमान निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
2. शेर मोहम्मद पिता इस्माईल जाति मुसलमान निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
3. खाजू खां उर्फ रमजू खां पिता नबी बक्ष जाति मुसलमान– मृतक के बजाय
   - 3/1. शब्बीर खां पिता खाजू खां जाति मुसलमान निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
   - 3/2. मुराद खां पिता खाजू खां जाति मुसलमान निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
   - 3/3. खातून पुत्री खाजू खां जाति मुसलमान निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
   - 3/4. जैतुन पत्नी खाजू खां जाति मुसलमान निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
4. सुगरा पुत्री अकबर खां जाति मुसलमान निवासी कन्नौज तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भदेसर
प्रकरण संख्या 165/2010 वाद निर्णय एवं डिक्री दिनांक 08.09.2021

उपस्थित– 1. छोगालाल जाट – अधिवक्ता अपीलान्ट
2. चन्दनमल जणवा– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1,2
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3/1 से 3/4 बावजूद सूचना अनुपस्थित
4. कृष्ण गोपाल दशोरा– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 4
5. पूरणमल स्वर्णकार– राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

निर्णय

दिनांक :- 11.05.2023

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 व 5 प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र धारा 53,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नवावपुरा के खसरा नम्बर 80, 83, 85, 86, 87-88, 92, 93, 96, 195/90 कुल किता 9 कुल रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा स्थित होकर वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। उक्त कृषि आराजीयात में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया के पिता का 1/3 हिस्सा, रहमत खां का 1/9 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा तथा रहमत खां का 1/9 हिस्सा है, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/3 हिस्सा व रहमत खां का 1/9 हिस्सा दर्ज रेकार्ड है। मूल पुरूष नबी बक्ष थे जिनके चार पुत्र, रहमत खां, अकबर खां, खाजू उर्फ रमजू खां व इस्माईल हुये। खातेदार रहमत खां, अकबर खां व इस्माईल खां की मुत्यु हो चुकी है। रहमत खां के कोई भी वारिसान नहीं होने से उनके तीनों भाई हकदार हुए। अब रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का 1/3 हिस्सा है और इसी अनुसार काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है। उक्त कृषि आराजीयात में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया का निहित 1/3 हक हिस्सा बटवाड़े से अलग किया जाकर प्रतिवादीगण उसके हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें/करवावें, इस हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें।

वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया की ओर से प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अस्वीकारोक्ति का जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया द्वारा काउण्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 15.05.2013 को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 रेस्पोडेन्टगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर उक्त कृषि आराजीयात के नवीन खसरा नम्बर 108, 111, 116, 117, 118, 123, 124 व 129 मीन कुल किता 8 कुल रकबा 2.75 हैक्टेयर कृषि भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया का नाम गेलड पुत्री होने से विलोपित किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3 प्रतिवादी संख्या 1 की मृत्यु हो जाने से रेस्पो0

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

संख्या 3/2 का 71/275 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 का 102/275 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 3 का 102/275 हिस्सा बहैसियत खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.2021 को पारित किये गये।

उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया का हिस्सा क्रय कर लिया था जिसका नामान्तरण संख्या 376 दिनांक 29.11.2010 को स्वीकृत हुआ जिससे अपीलान्ट प्रकरण में प्रभावित पक्षकार है। विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया जाने से प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर अपील ग्रहण की जाने की प्रार्थना की।

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण व वादिया को सम्मन नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 3/1 से 3/4 बावजूद सूचना अनुपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील के साथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया का हिस्सा क्रय कर लिया था जिसका नामान्तरण संख्या 376 दिनांक 29.11.2010 को स्वीकृत हुआ। रेस्पो0 संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने काउण्टर क्लेम दिनांक 22.02.2010 को प्रस्तुत किया। अपीलान्ट प्रकरण में प्रभावित पक्षकार था। विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाये जाने से न्यायहित मे अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट नें अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी. पी.सी. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र में पारित आदेश दिनांक 08.10.2009 व प्रकरण सं. 24/2010 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2010 की प्रमाणित प्रतियॉ प्रकरण से सुसंगत होने से न्याय निर्णय में सहायक सिद्ध होगी जिन्हे न्यायहित में रेकार्ड पर लिवाया जाना आवश्यक है। उक्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण से सुसंगत होकर फोटो प्रतियां

प्रमाणित होने से पटनीय है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्त आदेश की प्रतियॉ पत्रावली पर ली जाती है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 व 5 प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नवाबपुरा की कृषि आराजीयात कुल किता 9 कुल रकबा 14 बीघा 13 बिस्वा स्थित है। उक्त कृषि आराजीयात के मूल पुरूष नबी बक्ष थे जिनके चार पुत्र रहमत खां, अकबर खां, खाजू उर्फ रमजू खां व इस्माईल हुये। खातेदार रहमत खां, अकबर खां व इस्माईल खां की मुत्यु हो चुकी है। रहमत खां के कोई भी वारिसान नहीं होने से उनके तीनों भाई हकदार हुए। वर्तमान में विवादित कृषि भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया के पिता का 1/3 हिस्सा दर्ज रेकार्ड रहा है। वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया का निहित 1/3 हक हिस्सा बटवाड़े से अलग किया जाकर प्रतिवादीगण के विरुद्ध उसके हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करने/करवाने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें।

उक्त वादपत्र का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अस्वीकारोक्ति का जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया द्वारा काउण्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 15.05.2013 को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 रेस्पोडेन्टगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया का नाम गेलड पुत्री होने से विलोपित किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3/2 का 71/275 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 का 102/275 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 का 102/275 हिस्सा बहैसियत खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के विधि विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.2021 को पारित किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया द्वारा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 22.07.2010 अपना हिस्सा 3/8 अपीलांट को विक्रय कर दिया जिसे सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं कराया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 द्वारा काउण्टर क्लेम दिनांक 22.12.2010 को प्रस्तुत किया गया। उस समय अपीलांट प्रकरण में आवश्यक पक्षकार था जिसे पक्षकार कायम नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया को मौखिक साक्ष्यों व शपथ-पत्र के आधार पर गेलड पुत्री माना गया एवं मृतक रहमत खॉ के गोद पुत्र सम्बन्धी कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुये। खातेदार अकबर

अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

खॉ की मृत्यु वर्ष 2004 में हो गयी थी, जिसकी विरासत का नामान्तरकरण वर्ष 2005 में वादिया रेस्पोडेंट सं. 4 के पक्ष में निर्णित हो चुका था जिसकी कोई अपील नही की गई। पक्षकार मुस्लिम होने से चार पत्नियॉ भी रख सकते है व उनसे उत्पन्न संतान वैध उत्तराधिकारी है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट नें अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा वादिया रेस्पोडेंट सं. 4 का हिस्सा क्रय किया। उस समय विकेता को वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में वाद पत्र विचाराधीन होने की भली-भाति जानकारी थी। केता को विक्रय पत्र निष्पादन के समय विचाराधीन वाद एवं स्थगनादेश की जानकारी देना वादिया रेस्पोंडेट सं. 4 की जिम्मेदारी थी। अपीलान्ट स्वयं का दायित्व था कि वह स्वयं पक्षकार मुकद्मा बनने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत करता लेकिन जान-बूझ कर आवेदन प्रस्तुत नही किया। वादिया रेस्पोडेंट सं. 4 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में दिनांक 08.10.2009 को स्थगन आदेश अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा पारित किया गया था एवं दिनांक 16.07.2010 से मूल वाद के निर्णय तक मौका एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश पारित किये गये थे। बावजूद स्थगन विवादित कृषि भूमि विक्रय कर दी गई। वादिया रेस्पोडेंट सं. 4 सुगरा, मृतक खातेदार अकबर खॉ की गेलड पुत्री है जो नाथीबाई के साथ नाते के समय आई। गेलड पुत्री को कोई अधिकार नही होने बाबत् न्यायिक दृष्टान्त आर. आर.डी. मार्च,2005 पेज 160 प्रस्तुत किया। रेस्पोडेंट सं. 01 प्रतिवादी सं. 02 ने प्रदर्श सं. 8 प्रस्तुत कर साबित करवाया कि वह रहमत खॉ का गोद पुत्र है जिसकी पुष्टि में प्रदर्श सं. 9 से 12 पगडी दस्तुर के फोटोग्राफ एवं प्रदर्श 7 आधार कार्ड की फोटो प्रति भी प्रस्तुत कियें। पुलिस अधीक्षक चित्तौडगढ के समक्ष रहमत खॉ की पत्नी नानीबाई द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया जिसमे रेस्पोडेंट सं. 01 प्रतिवादी सं. 02 को रहमत खॉ का गोद पुत्र माना है। अन्त में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से अपील निरस्त किये जाने का निवदेन किया।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5 प्रतिवादी ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत होना बताते हुए अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता

से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया ने रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 3 व 5 प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादपत्र धारा 53,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत विभाजन बाबत प्रस्तुत किया। वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अस्वीकारोक्ति का जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया द्वारा काउण्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 15.05.2013 को रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया का वाद इसी स्टेज पर खारिज किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 व 3 रेस्पोडेन्टगण का काउण्टर क्लेम सुनवाई हेतु स्वीकार किया जाकर उक्त कृषि आराजीयात में रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया का नाम गेलड पुत्री होने से विलोपित किया जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 3/2 का 71/275 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रतिवादी संख्या 2 का 102/275 हिस्सा एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 का 102/275 हिस्सा बहैसियत खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.2021 को पारित किये गये।

अपीलान्ट ने प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. के साथ अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या 4 वादिया का हिस्सा क्रय कर लिया था जिसका नामान्तरण संख्या 376 दिनांक 29.11.2010 को स्वीकृत हुआ जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ने अस्वीकारोक्ति का जवाब दावा मय काउण्टर क्लेम दिनांक 22.12.2010 को प्रस्तुत किया। अपील के साथ प्रस्तुत प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम नवाबपुरा सम्वत् 2068 आधार वर्ष के खाता सं. 72 का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि जरिये नामान्तरण सं. 376 निर्णय दिनांक 29.11.2010 को ही अपीलार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो चुका था। इस प्रकार काउण्टर क्लेम प्रस्तुत करने की दिनांक से पूर्व ही रेस्पोर्डेट सं. 4 वादिया का हिस्सा क्रय कर लेने से अपीलान्ट विवादित कृषि भूमि का 3/8 हिस्से का सहखातेदार बन चुका था। विचारण न्यायालय में अपीलांट को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया जाने से उन्हें सुनवाई का अवसर नही मिला। यहां यह तथ्य स्पष्ट है कि रेस्पो0 संख्या 4 वादिया द्वारा अधिनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय मे वाद दिनांक 8.10.2009 को पेश किया गया एवं जरिये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955) में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2010 से स्थगन आदेश भी प्राप्त किया गया। इसी दौरान वादिया रेस्पो0 संख्या 4 सुगरा द्वारा अपने नाम दर्ज विवादित कृषि आराजियात में निहित अपना पूरा हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय

पत्र विकय कर दिया जिसका राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तरण दिनांक 29.11.2010 को रेस्पो0 संख्या 4 वादिया का हिस्सा अपीलार्थी उस्मान खां के नाम दर्ज हुआ। चूंकि इस दौरान प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय में विचाराधीन था। वाद की सम्पूर्ण जानकारी विकय के दौरान केता को देने की जिम्मेदारी विकेता की थी। अधीनस्थ विचारण न्यायालय में विधिवत काउण्टर क्लेम पेश किया गया जिसमें वादिया स्वयं पक्षकार थी। अतः अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत् निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा काउण्टर क्लेम स्वीकार कर इस आधार पर काउण्टर क्लेम डिक्री किया गया कि वादिया रेस्पो0 संख्या 4 सुगरा गैलड़ पुत्री होने से इनका नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाता है। इस संबंध में अधिवक्ता रेस्पो0 की और से प्रस्तुत आरआरडी 2005 पेज 160 में भी इसी आशय का निर्णय पारित किया गया है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त इस अपील पर भी चस्पा होता है। अपीलार्थी द्वारा यह निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने से वह अपना पक्ष नही रख पायें व उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं मिला। इस दलील को स्वीकार कर अपीलांट का प्रार्थना पत्र धारा 96 जाप्ता दिवानी स्वीकार कर अपीलांट को अपील में पक्षकार घोषित कर अपना पक्ष रखने का पूर्ण अवसर प्रदान किया गया।

अपील की सुनवाई के दौरान अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में ऐसे कोई ठोस सबूत, दस्तावेज इत्यादि अथवा नवीन सारभूत तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जिससे यह साबित हो सके कि रेस्पो0 संख्या 4 वादिया सुगरा गैलड़ पुत्री नहीं होकर श्री अकबर खां की वास्तविक पुत्री थी।

उक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के बिन्दुओं को साबित करने में असफल रहे है। अपील अपीलांट सारहीन होने से निरस्त योग्य है। फलस्वरूप अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के प्रकरण संख्या 165/2010 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.09.2021 यथावत रखे जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 11.5.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटायी जावे।

11/05/2023

(गितेश श्री मालवीय)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ (राज0)

संख्यांक 9

अपील में डिक्री

(आ. 41 नियम 35 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : गिरेश श्री मालवीय RAS

अपील सं. 84/2021 **/डिक्री**

श्री उस्मान खां पिता गुलाब खां जाति मुसलमान नि० सावा तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ बनाम

1. श्री मोहम्मद इलाम पिता इस्माईल जाति मुसलमान नि० कन्नोज तहसील - भदेसर जि० चित्तौड़गढ़
2. शेर मोहम्मद पिता इस्माईल जाति मुसलमान निवासी कन्नोज तहसील - भदेसर जिला - चित्तौड़गढ़

-शेष पुस्त पर दर्ज है-

-अपीलान्ट -रेस्पोडेन्ट

विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, भदेसर दि. 08/09/2021 प्रकरण सं. 165/2010 अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 व 209 रा.का.अ. 1955 निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात : यह अपील दिनांक 11/05/2023 को अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री छोगालाल जाट रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री चंदनमल जाजू की उपस्थिति में राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के समक्ष सुनवाई के लिये आने पर यह आदेश दिया जाता है कि - रेस्पो. सं. 1 व 2 कृष्ण गोपाल दशोरा रेस्पो - 4 व ज. A - 5 - रेस्पो सं. 3/1 से 3/4 अनुपस्थित।

— अपील अपीलांट निरस्त की जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय के प्रकरण संख्या 165/2010 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक - 08/09/2021 यथावत रखे जाते हैं।

इस अपील के खर्चे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है और जिनकी राशि — Nil रुपये हैं, ... द्वारा .... द्वारा दिये जाने है। मूल वाद के खर्चे .... द्वारा दिये जाने हैं।

यह आज दिनांक 11/05/2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई है।

11/05/2023

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

कृ० पृ० उ०

अपील खर्चे :

दिनांक :

अपीलान्ट	रूपये	रेस्पोडेन्ट	रूपये
1. अपील के ज्ञापन के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. आदेशिकाओं की तामील		3. आदेशिकाओं की तामील	
4. .... रू. पर प्लीडर की फीस		4. .... रू. पर प्लीडर की फीस	
योग		योग	

3- खाजू खां उर्फ रमजू खां
नबीबक्श मुसलमान
-मृतक के वारिसान
3/1- शब्बीर खां पि. खाजू खां जाति
मुसलमान नि० कन्नोज
तहसील भदेसर जि॰ चित्तौड़गढ़
3/2 - मुराद खां पि॰ खाजू खां जाति
मुसलमान निवासी कन्नोज
तहसील- भदेसर जिला- चित्तौड़गढ़
3/3- खातून पुत्री खाजू खां जाति-
मुसलमान निवासी- कन्नोज
तहसील- भदेसर जि. चित्तौड़गढ़
3/4 - जैतुन पत्नी खाजु खां जाति-
मुसलमान नि॰ कन्नोज -
तहसील- भदेसर जि॰ चित्तौड़गढ़
4- सुगरा पुत्री अकबर खां जाति -
मुसलमान नि॰ कन्नोज तहसील-
भदेसर जिला- चित्तौड़गढ़
5- राजस्थान सरकार जरिये -
तहसीलदार, भदेसर जि. चित्तौड़गढ़
- रेस्पोंडेन्ट्स

11/05/2023

(गितेश श्री मालवीय)
R.A.S.
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)